मेसर्स यूनिवर्सल सिलिंडर्स लिमिटेड

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

फ़रवरी 23, 2018

[न्यायमूर्तिगण मदन बी0 लोकुर और दीपक गुप्ता]

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994: धारा 2(39), 2(44) - बिक्री कर की वापसी - एलपीजी के भंडारण के लिए सिलेंडर के अपीलकर्ता-निर्धारिती निर्माता ने पूरे उत्पादन को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को आपूर्ति की - सिलेंडर की लागत होनी थी मूल्य निर्धारण नीति के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी और एनजी) द्वारा निर्धारित - आईओसी ने आपूर्ति आदेश में कहा कि प्रति यूनिट 682 रुपये का अनंतिम मूल्य वसूला जाएगा और मूल्य निर्धारण फॉर्मूला सरकार द्वारा समीक्षाधीन था और 1.7.1999 के बाद लागू अंतिम कीमतें केवल एमओपी और एनजी के अनुमोदन के अनुसार होंगी - तदनुसार अपीलकर्ता-निर्धारिती ने सिलेंडरों की आपूर्ति की - 31.10.2000 को, आईओसी ने अपीलकर्ता को पत्र भेजा कि कीमतों की समीक्षा के बाद, सिलेंडरों को फिर से अस्थायी रूप से 1.7.1999 से 645 रुपये प्रति यूनिट तक औपबंधिक समीक्षा की गयी - इसके बाद तेल कंपनियों ने निर्धारिती को देय भुगतान से 37 रुपये का अतिरिक्त भुगतान और उस पर आनुपातिक बिक्री कर काट/समायोजित किया - 37 रुपये की अतिरिक्त राशि पर बिक्री कर की वापसी का दावा - पात्रता प्रतिपादित किया गया: धारा 2(39) "बिक्री मूल्य" को एक ऐसी कीमत के रूप में परिभाषित करती है जो बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में डीलर को या तो भुगतान की जाती है या देय होती है - परिभाषा ही यह स्पष्ट करती है कि किसी भी छूट या छूट के माध्यम से कोई भी राशि व्यापार में आम तौर पर प्रचलित प्रथा में कटौती की जाएगी और बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा - 'टर्नओवर' की परिभाषा का मतलब डीलर द्वारा प्राप्त या प्राप्य कुल राशि है - तत्काल मामले में, जब आदेश निर्धारिती के साथ रखे गए थे , कीमत को अंतिम रूप नहीं दिया गया था - खरीद आदेश में एक स्पष्ट शर्त थी कि 682/- रुपये की कीमत केवल समीक्षा के लिए एक अनंतिम विषय थी और 01.07.1999 के बाद लागू अंतिम कीमत एमओपी एवं एनजी द्वारा अनुमोदित कीमत होगी। - इसलिए, भले ही निर्धारिती को 682 रुपये प्रति सिलेंडर प्राप्त हुआ हो, यह केवल उस कीमत को प्राप्त करने के लिए विधिक दायित्व के अन्तर्गत था जो एमओपी और एनजी द्वारा तय किया गया था - निर्धारिती को प्रति सिलेंडर 37/- रुपये तेल कंपनियां को राशि वापस करनी पड़ी - इसलिए, वास्तव में प्रति सिलेंडर केवल 645 रुपये प्राप्त हुए - मूल्य निर्धारण निर्धारिती के हाथ में नहीं है - यह तेल कंपनियों के हाथ में भी नहीं है - कीमत एमओपी और एनजी द्वारा तय की जाती है और ऐसे में एक स्थिति में, वास्तव में देय राशि एमओपी और एनजी द्वारा तय की जाने वाली राशि है और यह वह राशि भी है जिसे प्राप्त करने के लिए निर्धारिती विधिक रूप से हकदार है - निर्धारिती अतिरिक्त राशि पर भुगतान किए गए बिक्री कर की राशि की वापसी का हकदार है। .

न्यायालय ने अपीलें स्वीकार करते हुए

प्रतिपादित किया की: यह निर्विवाद है कि करदाता को तेल कंपनियों को 37/- रुपये प्रति सिलेंडर की राशि वापस करनी पड़ी। इसलिए, उसे वास्तव में केवल 645/- रुपये प्रति सिलेंडर प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा विधिक रूप से प्राप्य जो राशि थी वह अंततः एमओपी और एनजी द्वारा तय की जाने वाली राशि थी, यानी 645/- रुपये प्रति सिलेंडर। आपूर्ति आदेश में केवल अनंतिम मूल्य तय किया गया था। मूल्य निर्धारण निर्धारिती के हाथ में नहीं है। ये तेल कंपनियों के हाथ में भी नहीं है. कीमत MoP & NG द्वारा तय की जाती है और ऐसी स्थिति में, वास्तव में देय राशि MoP & NG द्वारा तय की जाने वाली राशि है और यही वह राशि भी है जिसे प्राप्त करने के लिए निर्धारिती विधिक रूप से हकदार है। निर्धारिती को अतिरिक्त राशि पर भुगतान की गई बिक्री कर की राशि वापस कर दी जाएगी। उपायुक्त का आदेश बहाल कर दिया गया है। [पैरा 17,18] [514-बी, डी]

आईएफबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य [2012] 4 एससीआर 802: 2012 (4) एससीसी 618; ओएनजीसी बनाम गुजरात राज्य 2014 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 15385; गेल इंडिया लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2014) 72 वीएसटी 161; एमआरएफ लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, मद्रास (1997) 5 एससीसी 104 - संदर्भित।

केस विधि संदर्भ [2012] 4 एससीआर 802 - संदर्भित - पैरा 12; (2014) 72 वीएसटी 161 - संदर्भित - पैरा 13; (1997) 5 एससीसी 104 - संदर्भित - पैरा 14।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 2431।

2006 की एसबी बिक्री कर संशोधन याचिका संख्या 59 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर, के निर्णय और आदेश दिनांक 27.02.2015 से।

साथ

2018 के सी ए नंबर 2432, 2433 और 2434।

अपीलकर्ता के अधिवक्तागण समीर जैन, सुश्री अनु सुरा, अंगद संधू, लव कुमार गुप्ता, राबिन मजूमदार।

अमित शर्मा, संदीप सिंह, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रुचि कोहली, उत्तरदाताओं के अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय, दीपक गुप्ता, जे. **द्वारा उदघोषित किया गया।**

1. अनुमति प्रदान की गई ।

2. चूंकि इन अपीलों में विधि का एक सामान्य प्रश्न उठता है, इसलिए उनका निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है। संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता-निर्धारिती तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के भंडारण के लिए सिलेंडर बनाता है। प्रासंगिक समय पर, संपूर्ण उत्पादन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों अर्थात मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में 'आईओसी'), मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आपूर्ति के लिए था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सिलेंडर की कीमत मूल्य निर्धारण नीति के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (संक्षेप में 'एमओपी और एनजी') द्वारा निर्धारित की गई थी।

3. 04.05.2000 को, आईओसी ने 14.2 किलोग्राम के 73380 एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया, जिसे 31.08.2000 तक पूरा किया जाना था। आपूर्ति आदेश का खंड 3 इस प्रकार है:

“आप 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 682.00 रुपये की अनंतिम कीमत ले सकते हैं। मूल्य निर्धारण फॉर्मूला सरकार द्वारा समीक्षाधीन है और 01.07.99 के बाद लागू अंतिम कीमतें केवल एमओपी और एनजी के अनुमोदन के अनुसार होंगी।

4. अपीलकर्ता-निर्धारिती ने सिलेंडरों की आपूर्ति की और प्रति सिलेंडर 682/- रुपये की राशि वसूल की और विधि के अनुसार उस पर बिक्री कर भी लगाया गया । अन्य कंपनियों द्वारा भी इसी तरह के आपूर्ति आदेश दिए गए थे।

5. 31.10.2000 को, आईओसी ने अपीलकर्ता को एक पत्र भेजा कि कीमतों की समीक्षा के बाद, 01.07.1999 से 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत को फिर से अस्थायी रूप से संशोधित कर 645/- रुपये कर दिया गया है। पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने तक और प्रस्तावित सिलेंडर टेंडर के कारण लागत वसूलने के लिए उपलब्ध कम समय के कारण, उद्योग ने 01.07.1999 से 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की अनंतिम मूल कीमत को संशोधित कर 645/- रुपये करने का निर्णय लिया है। तदनुसार हम आपके बिलों से अंतर राशि की वसूली करेंगे। अंतिम समायोजन बाद में सिलेंडर की कीमत तय होने के बाद किया जाएगा।

6. इसके बाद, तेल कंपनियों ने निर्धारिती को देय भुगतान से 37/- रुपये के अतिरिक्त भुगतान और उस पर आनुपातिक बिक्री कर की कटौती/समायोजन किया। इसके बाद निर्धारिती ने अतिरिक्त बिक्री राशि यानी 37/- रुपये पर भुगतान किए गए बिक्री कर की वापसी के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी से संपर्क किया। निर्धारिती का मामला यह था कि उसने प्रति सिलेंडर 682/- रुपये की अनंतिम कीमत पर कर का भुगतान किया था। कीमत 645/- रुपये कम होने के बाद, वह केवल 645/- रुपये का हकदार था। तेल कंपनियों ने 37/- रुपये की राशि का रिफंड ले लिया था, इसलिए अतिरिक्त राशि पर चुकाया गया कर उन्हें वापस किया जाए। करदाता ने यह भी आग्रह किया कि 37 रुपये की इस राशि को उसके कुल कारोबार में नहीं गिना जाना चाहिए।

7. निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कर की राशि का भुगतान करने के बाद कर की राशि को कम करने या वापस करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। यह भी देखा गया कि तेल कंपनियों के साथ करदाता की व्यवस्था एक निजी समझौते की प्रकृति में थी और बिक्री कर विभाग का इससे कोई लेना-देना नहीं था। अपील के उपायुक्त के समक्ष मूल्यांकन आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। इसके बाद, उत्तरदाता-राजस्व ने कर बोर्ड से संपर्क किया, जिसने राजस्व की अपील की अनुमति दी। व्यथित होकर, निर्धारिती ने पुनरीक्षण याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपीलें ।

8. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों की परिशीलन करने के लिए, हम राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(39) का संदर्भ ले सकते हैं, जो 'बिक्री मूल्य' को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"2(39) "बिक्री मूल्य" का अर्थ है किसी डीलर को बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई या देय राशि, व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी भी प्रकार की छूट या छूट के

माध्यम से दी गई किसी भी राशि को घटाकर, लेकिन इसमें डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है ।”

9. राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(44) का भी संदर्भ लिया जा सकता है जो 'टर्नओवर' को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"2(44) "टर्नओवर" का अर्थ है किसी डीलर द्वारा बिक्री के लिए प्राप्त या प्राप्य कुल राशि, जैसा कि खंड (38) में संदर्भित है, जिसमें माल की खरीद मूल्य भी शामिल है जो अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत खरीद कर के अधीन है;

स्पष्टीकरण: बिक्री बिल/नकद ज्ञापन या खातों में लगाया या एकत्र किया गया और अलग से दिखाया गया कर टर्नओवर का हिस्सा नहीं होगा।

10. उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि चूंकि 'भुगतान किया गया', 'देय', 'प्राप्त राशि' और 'या प्राप्य' शब्दों का उपयोग उपरोक्त दो वर्गों में किया गया है, इसलिए निर्धारिती प्रति सिलेंडर 682/- रुपये की राशि प्राप्त करने का हकदार था। और यदि उसने कोई छूट दी है, तो वह उसके रिफंड का दावा नहीं कर सकता है और सिलेंडर की कीमत 645/- रुपये प्रति सिलेंडर नहीं कही जा सकती है। उच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि सामान 682/- रुपये प्रति सिलेंडर पर वितरित किया गया था और यह राशि एकत्र की गई थी, इसलिए कोई भी राशि वापस नहीं की जानी चाहिए।

11. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और कई निर्णयों का उद्धरण किया गया है।

12. आईएफबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य' में, मुद्दा 'टर्नओवर' की परिभाषा के संबंध में था। इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि व्यापार छूट का लाभ लेने और इसे छूट के लिए पात्र बनाने के लिए, निर्धारिती को यह साबित करना आवश्यक है कि खरीदार ने केवल मूल रूप से ली गई छूट से कम राशि का भुगतान किया था और यह व्यापार एक नियमित अभ्यास होना चाहिए ।

13. ओएनजीसी बनाम गुजरात राज्य' में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें समान परिस्थितियों में, यह प्रतिपादित किया गया था कि छूट बिक्री मूल्य का हिस्सा नहीं बनती है। इसी तरह का दृष्टिकोण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गेल इंडिया लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में लिया था। इस मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता कंपनी गेल, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, एलपीजी सहित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का व्यवसाय कर रही थी। एलपीजी और केरोसिन की कीमत सार्वजनिक योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) द्वारा विनियमित और नियंत्रित की जाती थी। निर्धारिती ने अनंतिम कीमत के आधार पर तेल कंपनियों को एलपीजी की आपूर्ति की और पीपीएसी द्वारा कीमत तय होने और क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी होने के बाद अंतिम बिल चालान जारी किया गया। उच्च न्यायालय ने जेएफबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के बाद प्रतिपादित किया कि अनंतिम मूल्य और अंतिम मूल्य दोनों पीपीएसी द्वारा नियंत्रित होते हैं। बिक्री मूल्य में परिवर्तन पीपीएसी के निर्देश के कारण है और यह निर्धारिती के नियंत्रण में नहीं है। यह प्रतिपादित किया गया कि भले ही क्रेडिट नोट अनंतिम मूल्य के आधार पर जारी किया गया हो, टर्नओवर और बिक्री मूल्य की गणना के लिए विचार किया जाने वाला मूल्य निर्धारिती द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य होना चाहिए।

14. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने एमआरएफ लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, मद्रास के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। हमारी राय है कि इस निर्णय की इस मामले से कोई सुसंगतता नहीं है क्योंकि यह उत्पाद शुल्क अधिनियम से उत्पन्न हुआ निर्णय है जहां कारखाने के गेट से माल हटाते ही कर लगाया जाता है।

15. हमारे विचार में, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(39) को पढ़ने से, जो "बिक्री मूल्य" को परिभाषित करता है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह वह कीमत है जो बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में डीलर को या तो भुगतान की जाती है या देय होती है। परिभाषा स्वयं यह स्पष्ट करती है कि व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी भी छूट या छूट के माध्यम से कोई भी राशि काट ली जाएगी और बिक्री मूल्य में शामिल नहीं की जाएगी। 'टर्नओवर' की परिभाषा का अर्थ किसी डीलर द्वारा प्राप्त या प्राप्य कुल राशि है।

16. मौजूदा मामले में, जब आदेश निर्धारिती को दिए गए थे, तो एमओपी और एनजी द्वारा कीमत को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। खरीद आदेश में स्पष्ट शर्त थी कि 682/- रुपये की कीमत केवल एक अनंतिम कीमत है जो समीक्षा के अधीन है और पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा गया था कि 01.07.1999 के बाद लागू अंतिम कीमत एमओपी एवं एनजी अनुमोदित मूल्य होगी। इसलिए, भले ही निर्धारिती को 682/- रुपये प्रति सिलेंडर प्राप्त हुआ हो, लेकिन यह केवल उस कीमत को प्राप्त करने के लिए विधिक दायित्व के अन्तर्गत था जो एमओपी और एनजी द्वारा तय किया गया था। यह कीमत 682/- रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक हो सकती थी, ऐसी स्थिति में निर्धारिती को अतिरिक्त राशि पर राजस्थान बिक्री कर विभाग के बिक्री कर को एकत्र करना और जमा करना होगा। हालाँकि, चूंकि सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है, इसलिए निर्धारिती तय कीमत से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है, एकत्र की गई अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए बाध्य है और इसलिए वह अतिरिक्त राशि पर भुगतान किए गए कर की वापसी पाने का विधिक रूप से हकदार है।

17. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि यह निर्विवाद है कि निर्धारिती को प्रति सिलेंडर 37/- रुपये की राशि तेल कंपनियों को वापस करनी पड़ी। इसलिए, वास्तव में इसे केवल 645/- रुपये प्रति सिलेंडर प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा विधिक रूप से प्राप्य जो राशि थी वह अंततः एमओपी और एनजी द्वारा तय की जाने वाली राशि थी, यानी 645/- रुपये प्रति सिलेंडर। आपूर्ति आदेश में केवल अनंतिम मूल्य तय किया गया था। हमने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि मूल्य निर्धारण निर्धारिती के हाथ में नहीं है। ये तेल कंपनियों के हाथ में भी नहीं है. कीमत MoP & NG द्वारा तय की जाती है और ऐसी स्थिति में, वास्तव में देय राशि MoP & NG द्वारा तय की जाने वाली राशि है और यही वह राशि भी है जिसे प्राप्त करने के लिए निर्धारिती विधिक रूप से हकदार है।

18. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम अपीलें स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि निर्धारिती को अतिरिक्त राशि पर भुगतान की गई बिक्री कर की राशि वापस की जाएगी। उपायुक्त का आदेश बहाल है. निर्धारिती उपायुक्त के आदेश की तारीख से राशि के भुगतान तक देय राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया समझा जाएगा।

देविका गुजराल अपीलें स्वीकार की गई।

Name of Judicial Officer - RAM MURTI YADAV, ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, AZAMGARH (RETIRED)